सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 28.07.2026

Operation Conviction : सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के अभियोग में अभियुक्त दोषसिद्ध, न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे **"Operation Conviction"** अभियान के क्रम में थाना पिपरी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

सोनभद्र पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के फलस्वरूप **थाना पिपरी पर पंजीकृत अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट** से संबंधित अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का विवरण-

थाना : पिपरी, जनपद सोनभद्र
एसटी संख्या : 57/2019
मु0अ0सं0 : **144/2019**
धारा : **363, 366, 376 भा.द.वि. एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट**

दोषसिद्ध अभियुक्त-

रुपेश भुईया पुत्र शिव भुईया
निवासी- रेलवे क्रासिंग के बगल में, हाईटेक रेनुकूट, थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय-

1. माननीय न्यायालय एएसजे/स्पेशल जज (पॉक्सो), सोनभद्र द्वारा अभियुक्त रुपेश भुईया को **धारा 376 भा.द.वि.** के अपराध में **10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹20,000/-** अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 05 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

2. अभियुक्त को **धारा 363 भा.द.वि.** के अपराध में **05 वर्ष के कारावास एवं ₹5,000/-** अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

3. इसी प्रकार **धारा 366 भा.द.वि.** के अपराध में **07 वर्ष के कारावास एवं ₹10,000/-** अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। माननीय न्यायालय द्वारा सभी सजाओं को साथ-साथ चलने का आदेश पारित किया गया है।